दिनांक 18 अप्रैल, 2026 को विभिन्न विभागो की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 18 अप्रैल, 2026 को अपरान्ह 04.00 बजे श्रम विभाग एवं अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सम्पादित कार्यो की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

क– श्रम विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो की समीक्षा :–

1. निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया जाय तथा हर्रैया, कुदरहा, सल्टौआ गोपालपुर, विक्रमजोत एवं बनकटी ब्लाकों में विशेष प्रयास करते हुए अधिक से अधिक पात्र श्रमिको को जागरूक करते हुए पात्रता के आधार पर बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र भरवाकर लाभान्वित कराया जाय। साथ ही साथ संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में भी विशेष ध्यान दिया जाय। आगामी समीक्षा बैठक में उक्त विकास खण्डों में कैम्पों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्लाकवार पृथक–पृथक विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

2. निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पात्र श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजियन कराया जाय तथा हर्रैया, कुदरहा, सल्टौआ गोपालपुर, विक्रमजोत एवं बनकटी ब्लाकों में विशेष ध्यान देकर कैम्पों का आयोजन कराया जाय तथा आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व उक्त ब्लाकों में कैम्पों के माध्यम से अधिक से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नवीनीकरण कराते हुए विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया जाय। साथ ही आगामी समीक्षा बैठक में उक्त विकास खण्डों में कैम्पों के माध्यम से किये गये श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण का ब्लाकवार पृथक–पृथक विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

ख– अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण) द्वारा सम्पादित कार्यो की समीक्षा :–

1– समीक्षा के दौरान मेघा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आगामी बैठक तक कुल 50 परियोजना को संचालन एवं अनुरक्षण में ले जाने का लक्ष्य है। वी0एस0ए0 कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आगामी बैठक तक कुल 10 परियोजना को संचालन एवं अनुरक्षण में ले जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार जैक्सन कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आगामी बैठक तक कुल 05 परियोजना को संचालन एवं अनुरक्षण में ले जाने का लक्ष्य है। निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाय कि जो परियोजना संचालन एवं अनुरक्षण में चली गयी है अथवा जाने वाली हैं, उनका लाइव स्टेटस पोर्टल पर दिखें तथा उनसे नियमित जलापूर्ति करायी जाय।

2– निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से मिल कर विवाद का निस्तारण कराकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

3– समीक्षा के दौरार कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि कतिपय सामान चोरी हो जाने पर भी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जो सामान चोरी हुआ है, सम्बन्धित कम्पनी प्रतिनिधि उसका एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर अधिशाषी अभियन्ता को सूचित करें तथा अधिशाषी अभियन्ता ऐसे प्रकरणो की सूची तैयार कर आगामी बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

क्रमशः......2पर

4– प्रायः यह देखा जाता है कि समीक्षा बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजर प्रतिभाग नहीं करते, उनके स्थान पर ऐसे प्रतिनिधि प्रतिभाग करते है, जिन्हे प्रोजेक्ट के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। निर्देशित किया गया कि समीक्षा बैठक मे फर्मो के प्रोजेक्ट मैनेजर ही प्रतिभाग करें, यदि कभी विशेष परिस्थिति में उनका बैठक में उपस्थित हो पाना सम्भव न हो तो ऐसे प्रतिनिधि ही प्रतिभाग करें जिनको प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी हो।

Digitally signed by
SARTHAK AGRAWAL
Date: 20-04-2026
17:34:52

(सार्थक अग्रवाल)
मुख्य विकास अधिकारी,
बस्ती।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।

पत्रांक 174 /एस0टी0–सी/2026–27 दिनांक 20 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सहायक श्रमायुक्त, बस्ती।

2– अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी,
बस्ती।